अध्याय XXI : जनजातीय मामले मंत्रालय

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमि. (टीआरआईएफईडी)

21.1 कार्यालयी परिसर के अधिग्रहण में हानि

जनजातीय मामला मंत्रालय द्वारा पर्याप्त आकलन के अभाव में तथा कार्यालयी परिसर हेतु लागू शर्तों के अनुसार टीआरआईएफईडी की विफलता के परिणामस्वरूप तीसरी किश्त (₹5.20 करोड़) का असामयिक भुगतान, ब्याज का समग्र घाटा (₹3.15 करोड़) तथा अपवर्तन प्रभारों (₹0.54 करोड़) का अनावश्यक भुगतान हुआ।

भारतीय जनजातीय सरकारी विपणन विकास संघ लिमि. (टीआरआईएफईडी) जनजातीय मामला मंत्रालय (मंत्रालय) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक बहुराज्यीय सहकारी समिति है। मार्च 2013 में, मंत्रालय ने टीआरआईएफईडी. को लक्ष्मी नगर नई दिल्ली में कार्यालयी स्थान के खरीद मूल्य (₹30 करोड़) को आंशिक रुप से पूरा करने के लिए एक बार सहायता अनुदान के रूप में ₹15 करोड़ संस्वीकृत किए तथा शेष राशि टीआरआईएफईडी द्वारा एशियाई खेल गांव परिसर नई दिल्ली में अपने दो फ्लैटों की बिक्री करके प्राप्त करनी थी। जब खरीद सौदा फलदायक नहीं रहा तो मंत्रालय ने टीआरआईएफईडी को किदवई नगर, नई दिल्ली में ₹53.70 करोड़[1] पर एक वैकल्पिक परिसर खरीदने में राशि का उपयोग करने के लिए अनुमत किया (अगस्त 2013) । यद्यपि मंत्रालय को उसकी फाइलों से स्पष्ट था कि टीआरआईएफईडी खरीद मूल्य की शेष राशि पूर्ण रूप से अपने स्त्रोतों से ही पूरी करेगा, फिर भी वह टीआरआईएफईडी को उस समय यह तथ्य सूचित करने में विफल रहा। उस समय मंत्रालय ने 17 दिसम्बर 2013 को यह स्पष्ट किया और टीआरआईएफईडी ने परिसर की खरीद हेतु ₹5.11 करोड़ की प्रथम किश्त सहित एनबीसीसी (भारत) लिमिटेड (एनबीसीसी) को आवेदन किया (नवम्बर 2013)। तदन्तर टीआरएफईडी ने दूसरी और तीसरी किस्तों के ₹5.63 करोड़ (दिसम्बर 2013) तथा ₹5.20 करोड़ (जनवरी 2014) जमा कराए।

[1] शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, एक लोक क्षेत्र उपक्रम है। इस राशि में अनुरक्षण प्रभार तथा सेवा कर शामिल नहीं है।

जब टीआरआईएफईडी ने, एनपीबीसी को और किस्तों का भुगतान हेतु निधियां प्राप्त करने के लिए सम्पर्क किया (अप्रैल और जुलाई 2014) तो मंत्रालय ने टीआरआईएफईडी को परियोजना को वापस लेने का निर्देश दिया (अगस्त 2014)। टीआरआईएफईडी द्वारा एनबीसीसी को यह तथ्य सूचित करने (अगस्त 2014) पर एनबीसीसी ने ₹0.54 करोड़ (कुल बिकी मूल्य का 1 प्रतिशत सेवा प्रभार) के अपवर्त्तन प्रभारों की कटौती करके ₹15.40 करोड़ टीआरआईएफईडी को वापस कर दिए (मई 2015), जिसने मंत्रालय को ₹15.01 करोड़[2] का पुनर्भुगतान किया (मार्च 2016)।

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

- मंत्रालय इस बात से अवगत था कि टीआरआईएफईडी मंत्रालय से प्राप्त सहायता अनुदानों पर पूरी तरह से आश्रित था यहाँ तक की अपने सामान्य कार्यों[3] के लिए भी तथा एशियाई खेल गांव[4] में उसके दो फ्लैटों की बिक्री की राशि भी एनबीसीसी परिसर हेतु भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। मंत्रालय को प्रारंभ से ही स्पष्ट था कि उसकों पहले दिए गए ₹15 करोड़ के अतिरिक्त और कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी। इसके बावजूद मंत्रालय ने ₹53.70 करोड़ की परिसरों की खरीद हेतु मुख्य अनुमोदन प्रदान किया तथा टीआरआईएफईडी को समय पर निधियों की सीमा के बारे में न सूचित करके समस्या को और बढ़ा दिया।

- एनबीसीसी को जब परिसरों की खरीद हेतु आवेदन किया गया (नवम्बर 2013) तो टीआरआईएफईडी ने यह माना था कि क्रय अनुबंध केवल अस्थायी था तथा औपचारिक अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के पश्चात् ही यह अंतिम तथा बाध्य बनेगा। औपचारिक अनुबंध के अभाव में टीआरआईएफईडी द्वारा ₹5.20 करोड़ की तीसरी किश्त का भुगतान असामयिक था। इसके अतिरिक्त आवेदन के अनुसार तीसरी किश्त का भुगतान निर्धारित तिथि तक या खुदाई आरंभ होने के 30 दिनों के

---

[2] उसके द्वारा समय-समय पर रोकी गई उप्रयुक्त राशि पर उसके द्वारा अर्जित ब्याज सहित।

[3] 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान मंत्रालय से प्राप्त ₹32.29 करोड़ के सहायता अनुदान में से ₹35 करोड़ औसतन वार्षिक व्यय।

[4] प्रारंभ में कुल ₹9.63 करोड़ पर अनुमानित मूल्य।

भीतर जो भी बाद में ही किया जाना था इसका अर्थ यह है कि उस समय तक टीआरआईएफईडी तीसरी किश्त के लिए पहले एनबीसीसी से मांग प्राप्त होना जरूरी था। तथापि, टीआरआईएफईडी ने एनबीसीसी से मांग प्राप्त हुए बिना 20 जनवरी, 2014 में तीसरी किश्त का भुगतान किया।

- इसके अतिरिक्त, ₹15 करोड़ तीन वर्षों से अधिक समय (मार्च 2013 से मार्च 2016 तक) के लिए भारत की समेकित निधि से बाहर रहे, जिससे ₹3.15 करोड़[5] का ब्याज प्रभावित हुआ।

टीआरआईएफईडी ने सूचित किया (जून 2016) कि इस परियोजना से हटने के लिए उसके पास कोई विकल्प नहीं था क्योंकि वह फ्लैटों के लिए उपयुक्त मूल्य प्राप्त नहीं कर सका तथा मंत्रालय ने अतिरिक्त निधियां संस्वीकृत नहीं की थी। मंत्रालय ने सूचित किया (अक्तूबर 2016) कि उसने अगस्त 2013 में इस शर्त पर सिद्धान्त रूप में अनुमोदन प्रदान किया कि अतिरिक्त निधियां टीआरआईएफईडी द्वारा अपने स्त्रोतों से पूरी की जाएगी इसके अतिरिक्त टीआरआईएफईडी अपने दोनों फ्लैट बेचने में असफल रहा।

पहले बताए गए कारणों से टीआरआईएफईडी तथा मंत्रालय के उत्तर तर्कसंगत नहीं है। इस प्रकार, सिद्धान्त रूप में अनुमोदन प्रदान करते समय यथोचित कार्रवाई करने में मंत्रालय की विफलता तथा आबंटन हेतु लागू शर्तों का पालन करने में टीआरआईएफईडी की असफलता के परिणामस्वरूप ₹3.69 करोड़[6] की हानि हुई।

---

[5] भारत सरकार द्वारा प्रति वर्ष 7 प्रतिशत की औसतन उधार दर पर परिकलित।

[6] अपर्वतन प्रभारों के अनावश्यक भुगतान पर ₹0.54 करोड़ तथा तीन वर्षों से अधिक के लिए सी एफ आई से बाहर रहे ₹15 करोड़ पर ब्याज के ₹3.15 करोड़।